(1)

अति–आवश्यक / समयबद्ध

संख्या–ई0डी0एन0–एच0ई0(21)एफ0(18)30 / 2019–वी
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर), हिमाचल प्रदेश, शिमला–1
Tel:0177&2653120, Extn-234, Fax:2812882, E-mail:dhe-sml-hp@nic.in,
दिनांक शिमला–1 दी फरवरी,2020

सेवा में

उप–शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा,
समस्त जिला, हिमाचल प्रदेश

विषयः– **मार्च, 2020 की वार्षिक परीक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले के नाम से अलंकृत परीक्षा केन्द्रों में महिला केन्द्र अधीक्षक व उपाधीक्षक की नियुक्ति बारे।**

उपरोक्त विषय पर, सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, द्वारा सूचित किया गया है कि मार्च, 2020 की वार्षिक परीक्षा के लिए प्रदेश में 52 परीक्षा केन्द्रों का चयन किया गया है, जिनमें केन्द्र अधीक्षक व उपाधीक्षक के रूप में केवल महिला प्राध्यापकों / अध्यापकों को ही नियुक्त किया गया है व इन परीक्षा केन्द्रों को देश की प्रथम महिला शिक्षिका एंव महान समाजसेवी श्रीमति सावित्रीबबाई फुले के सम्मान में "सावित्री बाई फुले महिला परीक्षा केन्द्र" के नाम से अलंकृत किया गया है। बोर्ड द्वारा इस अलंकरण के बारे में सम्बन्धित विद्यालय परीक्षा केन्द्र को स्टिकर पोस्टर उपलब्ध करवाया गया है, जिसे परीक्षा भवन के मुख्य द्वार पर चिस्पाया जाएगा।

इस सन्दर्भ में, आपको निर्देश दिए जाते हैं कि यदि बोर्ड कार्यालय द्वारा नियुक्त महिला केन्द्र अधीक्षक व उपाधीक्षक किन्हीं अपरिहार्य कारणों से चयनित केन्द्र में अपनी उपस्थिति देने में असमर्थ रहती है व विद्यालय प्रमुख द्वारा आन्तरिक नियुक्ति की जानी संभव न हो तो इस स्थान पर केवल महिला प्राध्यापक / अध्यापक को ही नियुक्त करना सुनिश्चित करें। ताकि इन परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाओं का संचालन महिला अध्यापकों की देख–रेख में ही सुनिश्चित किया जा सके।

(डा0 प्रमोद चौहान)
संयुक्त शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा (महा0),
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्याः सम दिनांक शिमला–1 फरवरी, 2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, पिन–176213, को उनके कार्यालय पत्र संख्याःहि0शि0बो0(19)सी0एफ0–1(भाग–II) 2019 / –15301 दिनांक 27–02–2020 के सन्दर्भ में।
2. समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक, जिन विद्यालयों के परीक्षा केन्द्र को **"सावित्री बाई फुले महिला परीक्षा केन्द्र"** के नाम से अलंकृत किया गया है, को निर्देश दिए जाते हैं कि यदि बोर्ड कार्यालय द्वारा नियुक्त महिला केन्द्र अधीक्षक व उपाधीक्षक किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उनके परीक्षा केन्द्र में अपनी उपस्थिति देने में असमर्थ रहती है व विद्यालय स्तर पर आन्तरिक नियुक्ति की जानी संभव न हो तो इस स्थान पर केवल महिला प्राध्यापक / अध्यापक को ही नियुक्त करने हेतु अपने जिला के उप–शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा, को इस बारे तुरन्त सुचित करें।
3. तकनिकी अधिकारी, सूचना एवम प्रौद्योगिकी कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, को पत्र को विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
4. रक्षक नस्ति।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा (महा0),
हिमाचल प्रदेश

शिक्षा निदेशालय उच्चतर

02 MAR 2020